



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



राजेश कुमार, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी-सह-प्रभारी, प्रोक्योरमेंट

पत्रांक: SHSB/PM/161/2007/.....352

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन, बिहार
सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक

पटना, दिनांक:- 26/04/2024

विषय: जिलान्तर्गत हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के अंतर्गत जनमानस को बेहतर एवं व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएँ (Comprehensive primary Health Care) प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिले में अवस्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चरणबद्ध तरीके से Health & Wellness Center (HWCs) के रूप में विकसित किया गया है।

2. विदित है कि Health & Wellness Center (APHC, HSC- HWCs) के लिए आवश्यक औषधियों की सूची में 151 तरह की औषधि तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए आवश्यक औषधियों की सूची में 32 तक की औषधि रखे जाने हैं। DVDMS की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त दोनों प्रकार के स्वास्थ्य संस्थानों हेतु निर्धारित आवश्यक औषधि की सूची की तुलना में काफी अत्यल्प औषधियाँ हैं, जो मरीजों के हित में नहीं हैं। इससे यह परिलक्षित हो रहा है कि मरीज को बाहर से दवा लेनी पर रही होगी, जो अत्यंत ही खेदजनक है।

3. यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि जिला योजना समन्वयक (DPC) को Health & Wellness Center (HWCs) के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है, जिनके द्वारा उक्त संस्थानों पर सभी प्रबंधकीय कार्य के साथ-साथ औषधियों एवं उपकरणों/उपस्कारों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला योजना समन्वयक द्वारा Health & Wellness Center (HWCs) के नोडल पदाधिकारी होने के नाते अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है।

4. अतः अनुरोध है कि Health & Wellness Center (HWCs) तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) में निर्धारित औषधियों का DVDMS पर ससमय Indent, आपूर्ति एवं औषधि आपूर्ति प्राप्त करने के उपरान्त समय-समय पर खपत (consumed) की गई औषधियों को DVDMS पर प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य एक नियमित प्रक्रिया के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) एवं ए.एन.एम. द्वारा किया जाना है, जिसका सतत अनुश्रवण CHC/PHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला योजना समन्वयक द्वारा किया जायेगा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला योजना समन्वयक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर EDL के अनुरूप औषधियों की निरंतर उपलब्धता बनी रहे। स्वास्थ्य संस्थानवार औषधियों की उपलब्धता प्रतिवेदन का dvdms_excel sheet ई-मेल द्वारा इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है।

विश्वासभाजन

(राजेश कुमार) 26/04/24

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार



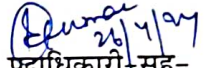
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



ज्ञापांक: SHSB/PM/161/2007/ 352
प्रतिलिपि:-

पटना, दिनांक 26/04/2024

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- डा० अजय कुमार शाही, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक, औषधि, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी HWC से समन्वय कर हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर में औषधियों की मानक उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
- सभी जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ


प्रशासी पदाधिकारी-सह-
प्रभारी, प्रोक्योरमेंट

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : <http://shs.bihar.gov.in>

Stock Availability (Drug)

18th March to 18th April

Facility Type	% of Avg. Stock Availability 18 th March to 18 th April
DH	53%
SDH	60%
RH	53%
CHC	55%
PHC	54%
UPHC	44%
APHC	12%
HWC	13%
HSC	21%